



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



फाइल नम्बर : 9-HRB177/2017-CHA

दिनांक : 10-01-2018

सेवा में,

(सी एफ) संरक्षक वन एवं, ऑफिसर नोडल,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 0.378 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R, Jhajjar for construction of ROB in lieu of Level Crossing No.22 at km. 43.405 of Rohtak-Rewari Railway line on crossing of Jhajjar-Kosli road (SH-22) at Jhajjar, under forest division and District Jhajjar, Haryana.

सन्दर्भ: 1. नोडल ऑफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 8180/3012 दिनांक 12.12.2017.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है वन जिसमें, 1980 अधिनियम (संरक्षण) की धारा 2-के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.378 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. जान निम्नलिखित सम्बन्धित से प्रस्तावकारी भेजने का कष्ट करें:-

- CA scheme is not correct. Number of trees to be felled is 416 so scheme should be of 4160 plants instead of 756 plants. Correct CA scheme be submitted/uploaded.
- Original FRA Certificate be uploaded online and same be submitted.

4. उपरोक्त जानकारी, इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय
12/1/18

(एस०डी० शर्मा)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- The Divisional Forest Officer, Forest Division & District-Jhajjar, Haryana.
- The Executive Engineer, Provincial division, PWD B&R, Jhajjar, Haryana.